(e) The Government is encouraging and helping the holding of Lok Adalat in States/UTs, through the respective State Legal Aid and Advice Boards.

Import of Coal

684. SHRI VALAMPURI JOHN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what are the implements that stand in the way of Central Government concurrence for the import of coal from Australia to feed the Tuticorin Thermal Power Station; and

(b) whether Tamil Nadu Government has stressed that TTPS is poised for major expansion with a sense of urgency which the matter warrants?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHTAGI): (a) Coal in adequate quantity is indigenously available to meet the present requirements of the Tuticorin Thermal Power Station.

(b) The proposal for Extension (Third-stage of 2×210MW) of the Tuticorin TPS was approved in June, 1985, and the project was to be implemented by the Tamil Nadu Electricity Board under the State's Seventh Plan. The Tamil Nadu authorities have now proposed to set up the Extension stage in the joint sector (based on import of coal). The modified project will be appraised from the techno-economic angle by CEA after it has been submitted by the Tamil Nadu Electricity Board.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध न्यायाधीश

685. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के न्यायाधीशों की अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(ग) यदि इन वर्गों/जातियों को दिया गया प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो क्या सरकार का उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) तारीख 1-11-1986 तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 11 और पद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 70 पद रिक्त थे ।

(ख) अपेक्षित जानकारी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रियों से एकत्र की जा रही हैं और यह प्राप्त हो जाने के पश्चात् सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां भारत के संविधान के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार की जाती हैं जिसमें किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का कोई उपबन्ध नहीं है । तथापि, सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखा है कि वे अधिवक्ताओं में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों में से ऐसे व्यक्तियों तथा महिलाओं का पता लगाएं जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त हैं, जिससे कि उन्हें उच्च न्यायालयों में वर्तमान से बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जा सके ।

IDPL Muzaffarpur

686. SHRI CHATURANAN MISHRA:

SHRI SURAJ PRASAD:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state: